Form No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम श्रीडूंगरगढ

कुलदीपसिंह पुत्र किशोरसिंह जाति पुरोहित निवासी बापेऊ पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर बनाम मोहनसिंह वगैरह

राजस्व वाद मुकदमा नम्बर 63/2025 U/S 53,88,188 RTA

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.04.2025	आज यह वाद कुलदीपसिंह ने जरिये श्री श्रवण कुमार गोदारा अधिवक्ता मार्फत पेश किया। वादी को 80(2) सीपीसी प्रार्थना पत्र पर सुना गया। वाद दर्ज रजिस्टर हों। प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी सम्मन तलब कर पत्रावली आयन्दा दिनांक 09.06.2025 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ	
16.5.2025	आज यह पत्रावली वादी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते पत्रावली पेशी में लेने का पेश करने पर पेशी में ली गई प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली हो। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी ने उक्त अदवानी दावा मय प्रार्थना पत्र का वास्ते घोषणा एवं आगामी निषेधाज्ञा का पेश किया था उक्त दावे की विवादित भूमि के सम्बन्ध में पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है। उक्त दावे में संलग्न प्रार्थना पत्र को अब प्रार्थी चलाना नहीं चाहता है प्रार्थी का दावा का राजीनामा होने के कारण दावे को संलग्न प्रार्थी चलाना नहीं चाहता है। प्रार्थी का दावा विड्रावल के जरिये विड्रावल दाखिल दफ्तर करवाने की कृपा करें। लिहाजा वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर वादी द्वारा जरिये विड्रावल में दायर स्टेट परवारिज किया जाता है। पत्रावली वाद तामील प्रति किया जाता है। पत्रावली वाद तामील होकर दाखिल दफ्तर बाजिबा नस्ताने कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.06.20 11:45:23 IST
Reason: SelfAttested